

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप-1)विभाग

कमांक प. 14(4)शिक्षा-1/बाडमेर/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 14/9/2016


:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.6.2016 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खडीन, बाडमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खडीन, बाडमेर में समन्वित किया गया था।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, खडीन जिला बाडमेर भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खडीन, बाडमेर के अत्यन्त निकट होने के कारण इसे भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खडीन, बाडमेर में एतद्वारा समन्वित किया जाता है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


आज्ञा से,


(एन.एल.जेवरिया)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त,
12. जिला कलक्टर,
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय) ~~बाडमेर~~
16. रक्षित पत्रावली



(बी.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी, शिक्षा